न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या **296 / 2024** अन्तर्गत धारा **131, 136** RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. तगाराम पुत्र ताजाराम जाति जाट, निवासी फतेहपुरा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 2. मिरगो देवी पत्नी मूलाराम जाति जाट, निवासी हुडों की ढाणी, अकदड़ा तहसील बायतु, जिला बालोतरा		राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव तहसील शिव, जिला बाड़मेर

उपस्थित :— अधिवक्ता प्रार्थीगण :— श्री अभयसिंह राठौड़।

—:: आदेश ::—

दिनांक : 18.07.2025

प्रार्थीगण के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त का खेत मौजा परबतसर, तहसील शिव के खसरा नम्बर 17 रकबा 16.2036 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्रार्थीगण उक्त भूमि पर वक्त सेटलमेंट से काबिज काश्त है तथा प्रार्थीगण की रहवासी ढाणियां एवं कृषि ट्यूबवेल आदि बने हुए है। प्रार्थीगण के पड़ौस में ही सरकार खसरा नम्बर 16 की भूमि आयी हुई है। वर्तमान में राजस्व रेकर्ड ऑनलाईन करते समय राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा विवादित आराजी के खसरा नम्बर का अंकन बिना मौका मुआयना किये तथा कब्जा काश्त की बिना जांच किये खसरा नम्बर 17 के स्थान पर खसरा नम्बर 16 का अंकन कर दिया है। उक्त गलत खसरा नम्बर का अंकन होने से राजस्व जमाबंदी व नक्शा में भिन्नता उत्पन्न हो गई है। वर्तमान मे जब प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी की नकल प्राप्त की, तब ज्ञान हुआ कि उसकी खातेदारी के लट्ठा नक्शा एवं राजस्व रेकर्ड मे दर्ज खसरा नम्बर में भारी भिन्नता है तथा दोनों एक दूसरे के विरोधाभाषी है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड में गलत खसरा नम्बर अंकित होने पर खसरा नम्बर 16 के स्थान पर खसरा नम्बर 17 दर्ज किया जाकर दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर मौतबिरान व पक्षकारान् के रूबरू जांच की गई। वर्तमान में मूल राजस्व ग्राम धारवी खुर्द के लट्ठा नक्शा में मौका अनुसार तरमीम का सही इन्द्राज है तथा दोनों खसरा नम्बर लट्ठा नक्शा में सही है, लेकिन ऑनलाईन भू नक्शा में लट्ठा नक्शा के विपरीत दोनों खसरा नम्बर एक दूसरे के विपरीत अंकित हो गये है, जो गलत दर्ज होने पर दुरस्त किया जाना प्रस्तावित किया गया है। तहसीलदार मौका रिपोर्ट के संलग्न तरमीम शुद्धि हेतु प्रस्तावित नक्शा अनुसार दुरस्ती प्रस्तावित की गई है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा मे विद्यमान खसरा नम्बर त्रुटि निरस्त किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न तरमीम शुद्धि हेतु प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 12:45:34 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड एवं लट्ठा

उपखण्ड अधिकारी
शिव

नक्शा में गलत खसरा नम्बर अंकित होने पर खसरा नम्बर 16 के स्थान पर खसरा नम्बर 17 दर्ज किया जाकर दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर मौतबिरान व पक्षकारान् के रूबरू जांच की गई। वर्तमान में मूल राजस्व ग्राम धारवी खुर्द के लट्ठा नक्शा में मौका अनुसार तरमीम का सही इन्द्राज है तथा दोनों खसरा नम्बर लट्ठा नक्शा में सही है, लेकिन ऑनलाईन भू नक्शा में लट्ठा नक्शा के विपरीत दोनों खसरा नम्बर एक दूसरे के विपरीत अंकित हो गये है, जो गलत दर्ज होने पर दुरस्त किया जाना प्रस्तावित किया गया है। तहसीलदार मौका रिपोर्ट के संलग्न तरमीम शुद्धि हेतु प्रस्तावित नक्शा अनुसार दुरस्ती प्रस्तावित की गई है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार दुरस्ती पक्षकारान् के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार होने पर प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया जाकर सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम व खसरा नम्बर का अंकन तद्नुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम परबतसर, तहसील शिव में प्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा नम्बर 17 रकबा 16.2036 हैक्टेयर एवं सरकारी भूमि के खसरा नम्बर 16 रकबा 15.0381 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न तरमीम शुद्धि हेतु प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न तरमीम शुद्धि हेतु प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 18.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)
शिव

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 12:15:34 IST
Reason: SelfAttested